फर्द अहकाम

बनाम मामराज वो०

जनवारी

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या 49/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	20/11/20	प्रार्थी श्री प्रार्थी के द्वारा मूलवाड़ से प्रार्थना पत्र विड़ा का पेरा किये जाने से पेरा हुई मूलवाड़ में वादी के द्वारा वाद पत्र विड़ा किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो खीरा किये जाने से S.R.T. I प्रार्थना पत्र का कोई सोचित नहीं है। रुल। कार्यवाही निष्पादित प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी केवल जारी होकर मूलवाड़ के हकदार रहे।	
नवीनतम आदेश		उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर	

(प्रभारी)